न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 21/2023 (2023/86)

1. भंवर कंवर पत्नि गोपाल सिंह राजपूत निवासी ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. सुशीला पत्नि महावीर प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
2. रमेशचन्द पुत्र बरदा जाति माली निवासी ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः—

श्री लेन्सी झंवर — अधिवक्ता प्रार्थीगण

पेराकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 27.03.2023

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की निम्न आराजीयात वाके ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है।

खेवट खतोनी संख्या (नया—पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
1903—1770	1271/5072	0.15 है.	नहरी 2
	कुल किता 1	**कुल रकबा 0.15 है.**	
1654—159	6229/1271	0.30 है.	नहरी 2
	कुल किता 1	**कुल रकबा 0.30 है.**	
973—976	6228/1271	0.15 है.	नहरी 2
	कुल किता 1	**कुल रकबा 0.15 है.**	

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है जिस पर प्रार्थीगण संयुक्त रूप से कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 2 उक्त प्रार्थनापत्र वर्णित आराजीयात के पडोसी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 की आराजीयात के बीच मौके पर सीमा चिन्ह नही होने से सीमा बाबत विवाद होता रहता है तथा उपज प्राप्त करते समय लडाई झगडा होने की संभावना रहती है। प्रार्थीगण की आराजीयात पर अप्रार्थी संख्या 2 अनाधिकृत रूप से कब्जा कर मकान व दुकान का निर्माण करने पर उतारू है व मना करने पर लडाई झगडा करते है। दिनांक 11.06.2022 को श्रीमान तहसीलदार केकड़ी के आदेश के द्वारा प्रार्थीगण की आराजीयात का अप्रार्थी संख्या 2 की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाया परन्तु फिर भी अप्रार्थी संख्या 2 उक्त सीमाचिन्हों को मिटाकर प्रार्थीगण की आराजीयात पर कब्जा करने के उद्देश्य से अवैध रूप से मकान व दुकान का निर्माण करने पर आमादा है जिससे यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थनापत्र में वर्णित प्रार्थीगण की आराजीयात की मौके पर पर जाकर पक्षकारान की उपस्थिति में स्थायी सीमाज्ञान (पत्थरगढ़ी) किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब टिप्पणी अंकित की गई जिसमे बताया कि संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खातेदार में दर्ज है राजहित प्रभावित नही है। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की आराजी की पत्थरगढी करवाने का हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी वाके ग्राम बघेरा तहसील केकडी के खाता संख्या 1903–1770 के खसरा नम्बर 1271/5072 खाता संख्या 1654–159 के खसरा नम्बर 6229/1271, खाता संख्या 973–976 के खसरा नम्बर 6228/1271 की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner